

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 1387/15

संस्थित दिनांक-28.12.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

विरुद्ध

.....अभियोगी

मुकेश पुत्र नाथूराम शर्मा उम्र 45 साल
निवासी नदीपार टाल जोधानगर मुरार

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 27.01.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, इसके अतिरिक्त आहत सुकलेश के संबंध में 337, 338 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 28.05.15 को करीब 21:30 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग स्थित हरगोविंद पुरा के सामने सार्वजनिक मार्ग पर वाहन क्रमांक एम0पी0-07 जी0ए0-3104 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, फरियादी प्रदीप की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर सुकलेश को घोर एवं साधारण उपहति कारित की।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत प्रदीप द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को आहत प्रदीप के संबंध में भादवि0 की धारा 337, का उपशमन किया गया है। आहत सुकलेश के संबंध में धारा 337, 338 एवं 279 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी प्रदीपसिंह दिनांक 28.05.15 को अपने गांव गोअरकलां से मोटरसाईकिल एम0पी0-07 एम0यू0-5085 पल्सर से ग्वालियर जा रहा था जिस पर उसकी चाची सुकलेश भी बैठी थी। जैसे ही भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर हरगोविंद पुरा के पास आया तब करीब 9:30 बजे शाम भिण्ड की तरफ से एक लोडिंग टाटा 407 एम0पी0-07 जी0ए0-3104 का चालक गाडी को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उनकी मोटरसाईकिल में पीछे से टक्कर मार दी जिससे उसकी चाची सुकलेश के बाएं पैर, ठोड़ी, शरीर में जगह जगह चोटें आई। फिर एम्बुलेंस 108 से जी0ए0 अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया जहां से दिल्ली रैफर कर दिया। उक्त आशय की लिखित रिपोर्ट से दिनांक 06.06.15 को अपराध क्र0 129/15 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौक बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जब्ती कर जब्ती

पत्रक, गिरा कर गिरा पत्रक बनाया गया, वाहन की मैकेनिकल जांच कराई गयी। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य न आने से दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं किया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 28.05.15 को करीब 21:30 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग स्थित हरगोविंद पुरा के सामने सार्वजनिक मार्ग पर वाहन क्रमांक एमपी0-07 जी0ए0-3104 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादी प्रदीप की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर आहत सुकलेश को उपहति तथा घोर उपहति कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में सुकलेश अ0सा0 1, डा0 सुरेन्द्रसिंह यादव अ0सा0 2, रामकरन अ0सा0 3, प्रदीपसिंह अ0सा0 4, महेश अ0सा0 5 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

7. प्रकरण में फरियादी प्रदीप अ0सा0 4 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 28.05.15 को रात्रि करीब 9-9:30 बजे वे अपने गांव गोअरकलां से मोटरसाईकिल नंबर एमपी0-07 एम0यू0-5085 से अपनी चाची के साथ ग्वालियर जा रहे थे और हरगोविंद पुरा के पास अचानक पीछे से गाड़ी आ गयी और उनमें टक्कर मार दी जिससे साक्षी की चाची सुकलेश व वह गिर पड़ा, उसकी चाची को बाएं पैर में चोट आई थी। इसके बाद उसने 108 (एम्बुलेंस) को फोन लगाया और सीधे जे0ए0 अस्पताल गए। वहां से चाची का इलाज दिल्ली में सफदरगंज में हुआ था और आज भी चल रहा है। घटना की रिपोर्ट प्रपी0 3 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी0 4 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित करता है तथा नक्शामौका प्रपी0 5 पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। अपने अभिसाक्ष्य में न तो घटना में लिप्त वाहन का कोई नंबर बताते हैं और न हीं उसे चलाने वाले व्यक्ति व चलने की रीति के संबंध में कोई भी कथन करते हैं। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। अतः साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करता जिससे मामला दुर्बल हो जाता है।

8. सुकलेश अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करती हैं कि उनके साक्ष्य दि0 22.09.16 से एक साल पांच माह पहले शाम करीब 9 बजे की घटना है वे ग्वालियर से अपनी ससुराल गोअरकलां जा रही थी। मोटरसाईकिल को उनका भतीजा प्रदीप चला रहा था जिसे पीछे से एक लोडिंग ने टक्कर मार दी। टक्कर में उनका बायां पैर कट जाने व चेहरे व हाथ पर चोट आने का कथन करती हैं। इस साक्षी द्वारा भी घटना में लिप्त कथित लोडिंग का नंबर, उसके चालक तथा चलने की रीति के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्ष द्रोही घोषित कर दिया गया तो साक्षी द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में सूचक प्रश्न पूछे जाने पर प्रपी0 1 का ए सेए भाग का कोई भी कथन पुलिस को दिए जाने से इंकार किया है। इस तथ्य से भी इंकार किया कि वाहन नंबर एम0पी0-07 जी0ए0-3104 के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी थी। इस तथ्य से भी इंकार करती है कि उसके जेठ के पहुंचने पर चालक ने उसका नाम मुकेश शर्मा बताया था। इस प्रकार से यह साक्षी अभियोजन के मामले का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं करती है। सुकलेश अ0सा0 1 एवं फरियादी प्रदीप अ0सा0 4 दोनों के द्वारा उनके गंतव्य के संबंध में परस्पर विरोधाभासी कथन किया गया है। जहां प्रदीप अ0सा0 4 गांव गोअरकलां से ग्वालियर जाना बताता है वहीं सुकलेश अ0सा0 1 ग्वालियर से अपनी ससुराल गोअरकलां जाने का कथन करती हैं। इस प्रकार से उनके कथनों में सारवान विरोधाभास दर्शित है।

9. डा0 सुरेन्द्रसिंह यादव दिनांक 29.05.15 को जे0ए0 अस्पताल ग्वालियर में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ होने और उक्त दिनांक को 12:15 बजे रात्रि में आहत सुकलेश के शासकीय अस्पताल गोहद द्वारा रिफर किए जाने पर परीक्षण करने पर उसे बाएं जांघ में चोट, बाएं घुटने में चोट पाए जाने का कथन करते हैं। आहत को उनके व सहयोगिया द्वारा आपरेशन कर बाहर से घुटने में स्कू व राड द्वारा उपचार कर खून के संचार की सर्जरी विशेषज्ञ हेतु रिफर किया गया था। इस प्रकार से साक्षी आहत सुकलेश को घटना दिनांक 28.05.15 को चोट के संबंध में संपुष्टिकारक कथन करते हैं।

10. साक्षी रामकरन शर्मा अ0सा0 2 मैकेनिकल जांच साक्षी हैं जो दिनांक 22.12.15 को जब्तशुदा वाहन क्रमांक एम0पी0-07 जी0ए0-3104 टाटा 407 की मैकेनिकल जांच करने का कथन करते हैं। साक्षी महेशसिंह गुर्जर अ0सा0 5 जो उक्त वाहन का स्वामी हैं वह अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करने में अस्मर्थ है कि दिनांक 28.05.15 को उक्त लोडिंग एम0पी0-07 जी0ए0-3104 को कौन चला रहा था। यह साक्षी भी प्रमाणीकरण प्र0पी0 7 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करता है परंतु उक्त दस्तावेज थाने पर गाड़ी लेने जाते समय पुलिस द्वारा हस्ताक्षर कराए जाने का कथन करते हैं। ऐसे में अभियुक्त के द्वारा वाहन चलाए जाने व अभिकथित वाहन एम0पी0-07 जी0ए0-3104 टाटा 407 गाड़ी थी इस संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य नहीं है।

11. फरियादी प्रदीप अ०सा० 4 अपने अभिसाक्ष्य में लेखीय आवेदन प्र०पी० 3, प्राथमिकी प्र०पी० 4 के बी से बी भाग तथा पुलिस कथन प्र०पी० 6 के ए से ए भाग में उल्लेखित तथ्यों को लिखा जाने से स्पष्टतः इंकार करते हैं। सुकलेश अ०सा० 1 अपने पुलिस कथन प्र०पी० 1 में उल्लेखित विनिर्दिष्ट ए से ए भाग पढ़कर सुनाए जाने पर वैसा कथन देने से इंकार करती हैं। उक्त दोनों ही साक्षी घटना के सर्वोत्तम साक्षी हैं किन्तु दोनों ही साक्षी घटना में वाहन एम०पी०-07 जी०ए०-3104 की संलिप्तता, उसके चालक की पहचान तथा उसे उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाए जाने की रीति के संबंध में कोई भी कथन नहीं करते हैं। प्र०पी० 3 का लेखीय आवेदन के आधार पर प्राथमिकी प्र०पी० 4 घटना दिनांक से 9 दिन बाद लेख की गयी है।

12. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि फरियादी प्रदीप द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया वह आहतगण का राजीनामा हो जाने से उनके द्वारा अभियुक्त के संबंध में कथन नहीं किया गया है। प्रकरण में सर्वप्रथम तो आहत सुकलेश की ओर से कोई राजीनामा पेश नहीं हुआ है फिर भी उसके द्वारा कोई समर्थन नहीं किया गया है। साक्षियों ने राजीनामा के कारण अभियुक्त के संबंध में मिथ्या कथन किए जाने के सुझाव से इंकार किया है। दण्ड विधि में आहत साक्षी का यह उद्देश्य रहता है कि वह सही व्यक्ति के संबंध में साक्ष्य दे। ऐसे में मात्र कल्पना आधारित विलंब से की गयी प्राथमिकी व स्वयं सर्वोत्तम साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन न किया जाना अभियुक्त के विरुद्ध अधिरोपित आरोप को प्रमाणित किए जाने हेतु सारवान आधा प्रस्तुत नहीं करते हैं। जहां तक प्राथमिकी व पुलिस कथनों का प्रश्न है तो सुस्थापित विधि है कि प्राथमिकी व पुलिस कथन सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनका उपयोग मात्र विरोधाभास व लोप के संबंध में किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टान्त- रवि कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दफ़्त के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है।

13. दण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। “सत्य हो सकता है” और “सत्य होना चाहिए” के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष

समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त भूरा के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 28.05.15 को करीब 21:30 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग स्थित हरगोविंद पुरा के सामने सार्वजनिक मार्ग पर वाहन क्रमांक एम0पी0-07 जी0ए0-3104 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, फरियादी प्रदीप की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर सुकलेश को घोर एवं साधारण उपहति कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279, इसके अतिरिक्त आहत सुकलेश के संबंध में संहिता की धारा 337, 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी उसके निवेदन पर मुचलका 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

15. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन एम0पी0-07 जी0ए0-3104 उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही/-

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/-

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश